

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

तहसील बस्सी, जिला-चित्तौड़गढ़

ग्राम पंचायत अमरपुरा... दिनांक. 3.10.25

Plan

बो.नि. 1

124

ग्राम सेवा शिविर 2025 अभियान



कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बस्सी जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक:-भू.अ./2025/9

दिनांक:-3/10/2025

प्रेषित,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौड़गढ़

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री अरुण कुमार पिता/मति श्री राजेश कुमार निवासी धामड़ा पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम पुरखण्ड में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 8 में जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम अरुण कुमार पिता/पति श्री अरुण कुमार दर्ज किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम अरुण कुमार पिता/पति श्री अरुण कुमार का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

45
तहसीलदार बस्सी
जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक:-रीडर/2025/770

दिनांक:-6/10/2025

निमित्त,

पटवार हल्का अमरपुरा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री अरुण कुमार पिता/पति श्री राजेश कुमार राजस्व पुरखण्ड पटवार हल्का अमरपुरा की खाता संख्या 8 में जाति/नाम अरुण कुमार पिता/पति अरुण कुमार दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री अरुण कुमार पिता/पति श्री राजेश कुमार की जाति/नाम अरुण कुमार पिता/पति श्री अरुण कुमार एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद्वारा दी जाती है। पटवार हल्का अमरपुरा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़

ग्राम सेवा शिविर 2025 अभियान

सेवा में

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनवान श्री भरतलाल पिता/पति श्री रामचंद्र रेग्वा

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री भरतलाल पिता/पति श्री रामचंद्र रेग्वा निवास पालख का/की हूँ/हैं।

मेरे हमारे पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम मुथलपुरी में खाता संख्या 8 किता 10 रकबा 3-44 है। भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम भरतलाल पिता/पति श्री रामचंद्र रेग्वा दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में भरतलाल पिता/पति श्री रामचंद्र रेग्वा दर्ज करवाना चाहती हूँ/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम बौचा पिता/पति श्री रेग्वा के बजाय रेग्वा पिता/पति श्री रेग्वा दर्ज करवाने की कृपा करावे।

दिनांक 8 / 10 / 2025

हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

भरत लाल रेग्वा

रिपोर्ट पटवारी हल्का अमरपुरा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री भरतलाल बौचा पिता/पति श्री रामचंद्र रेग्वा निवासी पालख के राजस्व ग्राम मुथलपुरी पटवार हल्का अमरपुरा की जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 8 में प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में भरतलाल पिता/पति श्री रामचंद्र रेग्वा दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनो जातियाँ एक ही श्रेणी की है/दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

विष्णु
हस्ताक्षर पटवारी

पटवार मण्डल... उमरपुरा
तह. बस्सी, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

हस्ताक्षर भू.अ.नि.विजयपुर

उमरपुरा
03/10-25